न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 48 / 2012

प्रार्थी :– **बनाम** **अप्रार्थी:–**

सरकार जरिये तहसीलदार
मारवाड जंक्शन जिला पाली

1. वेनाराम पुत्र देवा
2. छोगाराम पुत्र देवाराम
3. आसुराम
4. गणेशराम पि0 सुखाराम जातिगण राईका निवासीगण जोजावर
5. मांगीलाल
6. मोहनलाल
7. देवाराम
8. बाबुलाल पि0 किसनाराम जातिगण कुम्हार निवासीगण जोजावर तहसील मा0जं0

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–:: आदेश ::–

दिनांक 30/5/2017

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा नियुक्त अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2019 में ग्राम जोजावर तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नम्बर 670, 675 तथा 676 की भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री महादेव जी वाके देह बएतमाम पुजारी लाला, धना, नगा पि0 जावत, भाना, नाथा पि0 पना कौम रावल ब्राहम्ण सा0 देह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि डोली की खुदकाश्त दर्ज है। उक्त भूमि ग्राम अनजी की ढाणी के हाल खसरा नम्बर 1899 के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का पुजारीयों द्वारा अपने निजी स्वार्थवश हस्तान्तरण किया गया है, जो हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) एवं राजस्थान पीब्लदा ट्रस्ट एक्ट 1952 की धारा 31 के विपरित है। यह हस्तान्तरण नामान्तरकरण संख्या 282 तथा 981 के द्वारा किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से ग्राम जोजावर के नामान्तरकरण संख्या 282 व 981 को निरस्त करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के समक्ष रेफरेन्स प्रेषित करावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम ग्राम जोजावर की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2019 के खाता संख्या 640 के तहत खसरा नम्बर 670, 675 व 676 की भूमि डोली बनाम मन्दिर की महादेव जी वाके देह

अति० जिला कलेक्टर, पाली

बएतमाम पुजारी लाला, धना, नगा पि0 जावत, भाना, नाथा पि0 पना कौम रावल कौम ब्राहम्ण सा0 देह दर्ज है, उक्त भूमि मन्दिर की खुदकाश्त के रूप में दर्ज है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.क.–3(2)राज.6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 से भी यह स्थिति स्पष्ट की गई है कि मन्दिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गई थी। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के तहत किया गया है। जिनके अनुसार ऐसी भूमियों पर जागीर अधिग्रहण के समय काबिज व्यक्ति को खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार दिये गये है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में भूमि मन्दिर की खुदकास्त के रूप में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 9 की टिप्पणी के अनुसार किसी देव मूर्ति का मैनेजर उसका नौकर होता है। अतः एक देव मूर्ति को खुदकाश्त के अधिकार प्राप्त हो सकते है। इसके अतिरिक्तआर0आर0डी0 1994 रामप्रताप बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में यह प्रतिपादित किया कि देवमूर्ति शाश्वत अवयस्क होने से उसके नाम कृषि भूमि उसकी व्यक्तिगत कृषि भूमि मानी जावेगी। ऐसा ही आर0आर0डी0 1996 पेज 181 राज्य बनाम मुकनाराम में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अवैद्य रूप से खातेदार दर्ज व्यक्ति देव मूर्ति की भूमि का खातेदार नही हो जाता है। आर0आर0डी0 1979 पेज 7 माधो बनाम नन्दलाल में प्रतिपादित किया कि किसी देवमूर्ति की भूमि पर खातेदारी अधिकार नही मिल सकते, चाहे काश्तकार का कब्जा बन्दोबस्त के समय पर रहा हो। चूंकि देवमूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है तथा हस्तगत प्रकरण में भूमि मन्दिर की खुदकास्त दर्ज है, जिसका किसी भी रूप में हस्तान्तरण नही किया जा सकता है। इस प्रकार मन्दिर की भूमि का अनाधिकृत रूप से हस्तान्तरण किया गया है, जो विधि सम्मत नही है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, मारवाड जंक्शन द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि मौजा जोजावर तहसील मारवाड जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 282 व 981 को निरस्त करावे तथा भूमि पुनः मन्दिर के नाम दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली